फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक :- 06.11.2023

थाना मऊदरवाजा क्षेत्रान्तर्गत हथियापुर क्रासिंग के पास ट्रेन से गिर कर घायल युवक को, फतेहगढ़ पीआरवी 2654 ने एम्बुलेंस के द्वारा पहुँचाया अस्पताल:-

आज दिनांक 06.11.2023 समय 04.11 बजे थाना मऊदरवाजा क्षेत्रान्तर्गत हथियापुर क्रासिंग के पासे से कॉलर अभिषेक कुमार तिवारी नि0 तरबगंज जनपद गौंडा ने डायल-112 पर LBS के आधार पर सूचना (पी06112300891) दी कि मै ट्रेन से गिर गया हूँ की सूचना पर पीआरवी 2654 द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर टॉर्च की मदद से 1-2 किमी0 रेलवे ट्रैक पर कॉलर की खोजबीन की जिसके पश्चात कॉलर घायल अवस्था में पडा मिला, कॉलर के पैर व हाथ में चोट आई थी जिसको तत्काल एम्बुलेंस के द्वारा उपचार हेतु सीएचसी बरौन भेजा गया जिससे कॉलर की जान बचाई जा सकी। जिसकी आम जन मानस व उच्चाधिकारियों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गई।

पीआरवी कर्मियों के नाम(यूपी-32-डीजी-2654 थाना मऊदरवाजा)-

1. उ0नि0 रामतीरथ
2. मु0आ0चा0 मो0 नाजिम
3. आरक्षी विकास भाटी

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त श्यामबाबू पुत्र राजेन्द्र नि0 भाऊपुर चैरासी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 43/2015 वाद सं0 – 087/2015 धारा 363,366,376,506 भा0द0वि0 3/4 पाक्सो एक्ट थाना राजेपुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.11.2023 को मा0न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त श्यामबाबू को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एडीजीसी श्री अभिषेक सक्सेना

एडीजीसी श्री विकास कटियार

कोर्ट मोर्हिरर उ0नि0बेचेलाल

पैरोकार हे0का0 सुनील कुमार

@fatehgarhpolice

@fatehgarhpolice

FATEHGARHPOLICE